

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4334 /

जबलपुर, दिनांक 26/09/2019

II-14-26/99

श्रीमती बीनू पिल्लई, Secretary to the Judges, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्याओं को देखते हुए अवकाश नियम 13 के अनुसार दिनांक 20.05.2019 से 07.09.2019 तक 111 दिन का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही / -

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4334-A /

जबलपुर, दिनांक 26/09/2019

II-14-26/99

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 4614/स्था. ग्वालियर, दिनांक 14.08.19, ज्ञापन क्रमांक 5008/स्था. ग्वालियर, दिनांक 31.08.19 एवं ज्ञापन क्रमांक 5236/स्था. ग्वालियर, दिनांक 09.09.19 के सदर्थ में श्रीमती बीनू पिल्लई, Secretary to the Judges, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करे।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. असि. रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

:-:-